GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] No. 211] दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 179

DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/BHADRA 13, 1941 [N.C.T.D. No. 179

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

सं. फा. 3(6) / वित्त (राज.—1) / 2018—19 / डीएस—vi/389.—दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा एडवांस रूलिंग के लिए दिल्ली प्राधिकरण द्वारा घोषित एडवांस रूलिंग के विरुद्ध सुनवाई हेतु वस्तु एवं सेवा कर, एडवांस रूलिंग के लिए निम्नलिखित दिल्ली अपीलीय प्राधिकरण गठित करते हैं:

- (1) मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, दिल्ली अंचल सदस्य
- (2) आयुक्त, राज्य कर सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 3nd September, 2019

No.F.3(6)/Fin.(Rev.-I)/2018-19/DS-VI/389.—In exercise of the powers conferred by Section 99 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute Delhi Appellate Authority for Advance Ruling for Goods and Services Tax, for hearing appeals against the Advance Ruling pronounced by the Delhi Authority for Advance Ruling, consisting of :

(i) Chief Commissioner of Central Tax, Delhi Zone - Member
(ii) Commissioner of State Tax - Member

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)